रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 1990/माघ 16, 1911
No. 41] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 1990/MAGHA 16, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1990

सा. का. नि. 50(अ):—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय खाद्य मानक समिति के परामर्श से बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको वह राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध कराया जाता है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा ।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

आक्षेप का सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) निर्माण भवन, नई दिल्ली को भेज जाएं ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट "ख" में मद क.18-06 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्—

"क" 18-06 खाद्यान्न जो मानव उपभोग के लिए है, वे अनाज, ज्वार, बाजरा और दालों के साबुत या टूटे हुये दानें होंगे। अनाज के लिए नीचे वर्णित मानकों के अनुरूप होने के अतिरिक्त ये आर्गेमोन मैक्सिकाना और किसी भी प्रकार की केसरी दाल से मुक्त होंगे । ये दालें किसी रंग से भी मुक्त होंगी । खाद्यान्न में नियम 65 की सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट से भिन्न की कीटनाशी अवशिष्ट नहीं होंगे और

खाद्यान्न में कीटनाशी अवशिष्ट की मात्रा उक्त सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट परिसीमा से अधिक नहीं होंगे ।

क.—18-06-01-गेहूं :

वर्णन--गेहूं ट्रिटिकम अस्टीवमलिन या ट्रिटिकम बल्गरे बिल, ट्रिटिकम डरूम डेस्क, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम पर्क, ट्रिटिकम ओलोकम शूबल, ट्रिटिकम कम्पेक्टम होस्ट के सुखाए हुए पके दानें होंगे। वह मीठा, साफ और स्वास्थ्यप्रद होगा ।

वह निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुरूप होगा:--

(i) आर्द्रता—भार के अनुसार 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी (जो प्रकीणित दानों की 130° से. ग्रे. पर दो घंटे तक गर्म करने पर अभिप्राप्त होगी) ।

(ii) विजातीय पदार्थ--भार के अनुसार 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिसमें से अकार्बनिक पदार्थ और विषैले बीज भार के अनुसार क्रमशः 1.0 और 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंग। विषैले बीजों की कुल सीमा, में से धतूरा और अकरा (विसिया स्पैसीज) भार के अनुसार क्रमशः 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iii) अन्य खाद्य दाने भार के अनुसार 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iv) क्षतिग्रस्त दाने—भार के अनुसार 6.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिसमें करनाल बंट से प्रभावित दाने और आरगोट से प्रभावित दाने हैं। करनाल बंट से प्रभावित दानों और आरगोट से प्रभावित दानों को सीमा भार के अनुसार क्रमशः 3.0 प्रतिशत और 0.05 प्रतिशत होंगी ।

(v) कीड़ा खाए हुए दानें—भार के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(vi) मूत्राम्ल--प्रति किलोग्राम 100 मि. ग्रा. से अधिक नहीं होगा।

(vii) माइकोटाक्सीन जिसमें अफलाटाक्सीन भी है प्रति किलोग्राम 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होगी।

परन्तु विजातीय पदार्थ अन्य खाद्य दानों और क्षतिग्रस्त दानों का योग, भार के अनुसार 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

क.—18-06-02-मक्का :

मक्का सूखा और जिया मेज लिन के पके हुए दाने होंगे। वह मीठा, कड़ा, साफ और स्वास्थ्यप्रद होगा । वह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा, अर्थात् :--

(i) आर्द्रता--भार के अनुसार 16.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी (जो प्रकीणित दानों को 130° से.ग्रे.—133° से.ग्रे. पर दो घंटे तक गर्म करने पर अभिप्राप्त होगी) ।

(ii) विजातीय पदार्थ--भार के अनुसार 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिसमें से अकार्बनिक पदार्थ और विषैले बीज नहीं होंगे। विषैले बीजों की कुल सीमा में से धतूरा और अकरा (विसिया स्पीसीज) भार के अनुसार क्रमशः 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iii) अन्य खाद्य दाने—भार के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(iv) क्षतिग्रस्त दाने--भार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(v) कीड़ा खाए दाने—गणना के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(vi) मूत्राम्ल--प्रति किलोग्राम 100 मि. ग्रा. से अधिक नहीं होगा।

(vii) माइकोटाक्सीन जिसमें अफलाटाक्सीन भी है, प्रति किलोग्राम 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होगी ।

परन्तु विजातीय पदार्थ, अन्य खाद्य दाने और क्षतिग्रस्त दाने का योग भार के अनुसार 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

क.—18-06-03-ज्वार और बाजरा

ज्वार और बाजरा क्रमशः सोरघम वल्गेरे और पेनीसिटम—टाइफाइड रिम के सुखाए हुए पक्के दाने होंगे। वे मीठे, कड़े, साफ और स्वास्थ्यप्रद होंगें। वे निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे, अर्थात् :--

(i) आर्द्रता--भार के अनुसार 16.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी (जो प्रकीणित दानों को 130° से. ग्रे.—133° से. ग्रे. पर दो घंटे तक गर्म करने पर अभिप्राप्त होगी ।

(ii) विजातीय पदार्थ—भार के अनुसार 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिसमें से अकार्बनिक पदार्थ और विषैले बीज क्रमशः 1.0 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे । विषैले बीजों की कुल सीमा में से धतूरा और अकरा (विसिया स्पीसीज) भार के अनुसार क्रमशः 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(iii) अन्य खाद्य दाने--भार के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iv) क्षतिग्रस्त दानें--भार के अनुसार 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिसमें से अरगोट से प्रभावित दाने भार के अनुसार 0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(v) कीड़ा खाए दानें--भार के अनुसार 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(vi) मूत्राम्ल--प्रति किलोग्राम 100 मि. ग्रा. से अधिक नहीं होंगे।

(vii) माइकोटाक्सीन जिसमें अफलाटाक्सीन भी है प्रति किलोग्राम 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होगी ।

परन्तु विजातीय पदार्थ अन्य खाद्य दानों और क्षतिग्रस्त दानों के योगभार के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

क.—18-06-04-चावल

चावल ओराइजा सेटाइवालिन की पक्की गिरी या गिरी के टुकड़े होंगे जो धान से कच्चे या उबालकर प्राप्त किए जाएंगे । ये सूखे मीठे, साफ, स्वास्थ्यप्रद होंगे और विषैले पदार्थों से मुक्त होंगे । यह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे, अर्थात् :--

(i) आर्द्रता--भार के अनुसार 16 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी (जो प्रकीणित दानों को 130°—133° से. ग्रे. पर दो घंटे तक गर्म करने पर अभिप्राप्त होगी)।

(ii) विजातीय पदार्थ—भार के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिनमें से अकार्बनिक पदार्थ प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(iii) क्षतिग्रस्त दाने—भार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे (जिसमें विवरगित छोर वाले सम्मिलित नहीं है) ।

(iv) कीड़ा खाए दाने--भार के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(v) मूत्राम्ल तत्व--प्रति किलोग्राम 100 मि. ग्रा. से अधिक नहीं होंगे।

(6) माइकोटाक्सीन जिसमें अफ्लाटाक्सीन भी है--प्रति किलोग्राम 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगी :

परन्तु विजातीय पदार्थ और कीड़ा खाए दानों का योग भार के अनुसार 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

क-18-06-05--मसूर साबुत :

मसूर साबुत में लेंटिल (लैन्स कुलीनेरिस मेडिक या दूखम लैन्स लिन या लैन्स एस्कुलेंटा मोइनच) होगी । वह ठोस, सुखी, मीठी, साफ और स्वास्थ्यप्रद होगी । वह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगी, अर्थात्:--

i) आर्द्रता--भार के अनुसार 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी (जो प्रकीर्णित दानों की 130° से.ग्रे.--133° से.ग्रे. पर दो घंटे तक गर्म करने पर अभिप्राप्त होगी) ।

(ii) विजातीय पदार्थ--भार के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिसमें से अकार्बनिक पदार्थ एक प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iii) अन्य खाद्य दाने --भार के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iv) क्षतिग्रस्त दाने --भार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(v) कीड़ा खाए दाने--भार के अनुसार 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(vi) मूत्राम्ल--प्रति कि. ग्रा. से अधिक नहीं होगा ।

(vii) माइकोटाक्सीन जिसमें अफ्लाटाक्सीन भी है--प्रति कि. ग्रा. 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होगा ;

परन्तु विजातीय पदार्थ, अन्य खाद्य दानों और क्षतिग्रस्त दाने योग भार के अनुसार 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

क-18-06-06--उड़द साबुत :

उड़द साबुत में दालों (फजीओलन मूगों लिन) के बीज होंगे । वह ठोस, सुखी, मीठी और स्वास्थ्यप्रद होगी । वह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगी, अर्थात्:--

(i) आर्द्रता--भार के अनुसार 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी (जो प्रकीर्णित दानों की 130° से. ग्रे.--133° से. ग्रे. पर दो घंटे तक गर्म करने पर अभिप्राप्त होगी) ।

(ii) विजातीय पदार्थ--भार के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिसमें से अकार्बनिक पदार्थ भार के अनुसार 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iii) अन्य खाद्य दाने--भार के अनुसार 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iv) कीड़ा खाए दाने--भार के अनुसार 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(v) क्षतिग्रस्त दाने--भार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(vi) मूत्राम्ल तत्व--प्रति कि. ग्रा. 100 मि. ग्रा. से अधिक नहीं होंगे ।

(vii) माइकोटाक्सीन जिसमें अफ्लाटाक्सीन भी है--प्रति कि. ग्रा. 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होगी :

परन्तु विजातीय पदार्थ अन्य खाद्य दानों और क्षतिग्रस्त दानों का योग भार के अनुसार 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

क.18.06.07--मूग साबुत

मूंग साबुत में मूंग (फैसिओलस अरेअस रोक्सब फसिओलस रेडिएटस रोक्सब) के बीज होंगे । वह ठोस, सुखी, मीठी, स्वास्थ्यप्रद होगी और अस्वास्थ्यप्रद पदार्थों के मिश्रण से मुक्त होगी । वह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगी, अर्थात्:--

(i) आर्द्रता--भार के अनुसार 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । (जो प्रकीर्णित दालों को 130° से. ग्रे.--133° से. ग्रे. पर दो घंटे तक गर्म करने पर अभिप्राप्त होगी) ।

(ii) विजातीय पदार्थ--भार के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिसमें से अकार्बनिक पदार्थ 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iii) अन्य खाद्य दाने --भार के अनुसार 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iv) क्षतिग्रस्त दाने --भार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(v) कीड़ा खाए दाने--भार के अनुसार 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(vi) मूत्राम्ल--प्रति किलोग्राम 100 मि.ग्रा. से अधिक नहीं होगा ।

(vii) माइकोटाक्सीन जिसमें अफ्लाटाक्सीन भी है--प्रति कि. ग्रा. 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होगी ।

परन्तु विजातीय पदार्थ, अन्य खाद्य दानों और क्षतिग्रस्त दानों का योग, भार के अनुसार 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

क.18.06.08--चना साबुत :

चना साबुत में चना (साइसर ऐरोटिनम लिन) के सूखे दाने होंगे वे ठोस, साफ, मीठे, स्वास्थ्यप्रद होंगे और अस्वास्थ्यप्रद पदार्थों से मुक्त होंगे । वे निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे, अर्थात्:--

(i) आर्द्रता--भार के अनुसार 16 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी (जो प्रकीर्णित दालों को 130° से. ग्रे.--133° से. ग्रे. पर दो घंटे तक गर्म करने पर अभिप्राप्त होगी ।

(ii) वजातीय पदार्थ--भार के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिनमें से अकार्बनिक पदार्थ 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iii) अन्य खाद्य दाने --भार के अनुसार 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iv) क्षतिग्रस्त दाने--भार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(v) कीड़ा खाए दाने--भार के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(vi) मूत्राम्ल--प्रति किलोग्राम 100 मि.ग्रा. से अधिक नहीं होगा ।

(vii) माइकोटाक्सीन जिसमें अफ्लाटाक्सीन भी है--प्रति कि. ग्रा. 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होगी :

परन्तु विजातीय पदार्थ, अन्य खाद्य दानों और क्षतिग्रस्त दानों का योग, भार के अनुसार 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

क.18.06.09--दली हुई (दाल) अरहर :

दाल अरहर में दाल अरहर (जेनस कैजन) (एल) मिलशप) की भूसी और दले हुए बीज होंगे । वे ठोस, साफ, मीठे, सूखे स्वास्थ्यप्रद और अस्वास्थ्यप्रद पदार्थ के मिश्रण से मुक्त होंगी । वह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगी, अर्थात्:--

(i) आर्द्रता--भार के अनुसार 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी (जो प्रकीर्णित दालों को 130° से. ग्रे.--133° से. ग्रे. पर दो घंटे तक गर्म करने पर अभिप्राप्त होगी) ।

(ii) विजातीय पदार्थ--भार के अनुसार 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे । जिनमें से अकार्बनिक पदार्थ भार के अनुसार 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iii) अन्य खाद्य दाने--भार के अनुसार 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iv) क्षतिग्रस्त दाने--भार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(v) कीड़ा खाए दाने --भार के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(vi) मूलाम्ल तत्व--प्रति किलोग्राम 100 मि.ग्रा. से अधिक नहीं होंगे ।

(vii) माइकोटाक्सीन जिसमें अफ्लाटाक्सीन भी है--प्रति किलोग्राम 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे ।

परन्तु विजातीय पदार्थ, अन्य खाद्य दानों, और क्षतिग्रस्त दानों का योग, भार के अनुसार 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

क.18.06.10--दली हुई दाल मूंग :

दाल मूंग में मूंग (फैसिओलस आरेअस राक्सब) के दले हुए बीज होंगे वह ठोस, साफ, मीठी, स्वास्थ्यप्रद होगी और अस्वास्थ्यप्रद पदार्थों के मिश्रण से मुक्त होंगी ।

वह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगी, अर्थात्:--

(i) आर्द्रता--भार के अनुसार 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी (जो प्रकीर्णित दालों को 130° से.ग्रे.--133° से.ग्रे. पर दो घंटे तक गर्म करने पर अभिप्राप्त होगी ।

(ii) विजातीय पदार्थ--भार के अनुसार 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे । जिसमें से अकार्बनिक पदार्थ 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iii) अन्य खाद्य दाने--भार के अनुसार 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iv) क्षतिग्रस्त दाने--भार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(v) कीड़ा खाए दाने--भार के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(vi) मूलाम्ल--प्रति किलोग्राम 100 मि.ग्रा. से अधिक नहीं होंगे ।

(vii) माइकोटाक्सीन जिसमें अफ्लाटाक्सीन भी है--प्रति किलोग्राम 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगी :

परन्तु विजातीय पदार्थ, अन्य खाद्य दानों और क्षतिग्रस्त दानों का योग, भार के अनुसार 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

क.18.06.11--दली हुई दाल उड़द :

दाल उड़द में दाल (फेसेओलस मूंग लिन) के दले हुए बीज होंगे । वह ठोस, सूखे, मीठी, स्वास्थ्यप्रद और अस्वास्थ्यप्रद पदार्थों के मिश्रण से मुक्त होगी । वह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगी, अर्थात्:--

(i) आर्द्रता--भार के अनुसार 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी (जो प्रकीर्णित दालों को 130° से.ग्रे.--133° से.ग्रे. पर दो घंटे तक गर्म करने पर अभिप्राप्त होगी) ।

(ii) विजातीय पदार्थ--भार के अनुसार 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे । जिसमें से अकार्बनिक पदार्थ भार के अनुसार 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iii) अन्य खाद्य दाने--भार के अनुसार 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iv) क्षतिग्रस्त दाने--भार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(v) कीड़ा खाए दाने--गणना के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(vi) मूलाम्ल--प्रति किलोग्राम 100 मि.ग्रा. से अधिक नहीं होंगे ।

(vii) माइकोटाक्सीन जिसमें अफ्लाटाक्सीन भी है--प्रति किलोग्राम 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होगी :

परन्तु विजातीय पदार्थ अन्य खाद्य दानों और क्षतिग्रस्त दानों का योग, भार के अनुसार 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

क.18.06.12--दाल चना :

दाल चना में चना (साइसर ऐरीटनम लिन) के दले हुए दाने होंगे। वह ठोस, साफ मीठी, सुखी, स्वास्थ्यप्रद और अस्वास्थ्यप्रद पदार्थों के मिश्रण से मुक्त होगी । वह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगी, अर्थात्:--

(i) आर्द्रता--भार के अनुसार 16 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी (जो प्रकीर्णित दालों को 130° से.ग्रे.--133° से.ग्रे. पर दो घंटे तक गर्म करने पर अभिप्राप्त होगी) ।

(ii) विजातीय पदार्थ--भार के अनुसार 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे । जिसमें अकार्बनिक पदार्थ भार के अनुसार 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iii) अन्य खाद्य दाने--भार के अनुसार 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(iv) क्षतिग्रस्त दाने--भार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(v) कीड़ा खाए दाने--गणना के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

(vi) मूलाम्ल तत्व--प्रति किलोग्राम 100 मि.ग्रा. से अधिक नहीं होंगे ।

(vii) माइकोटाक्सीन जिसमें अफ्लाटाक्सीन भी है--प्रति किलोग्राम 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होगी :

परन्तु विजातीय पदार्थ अन्य खाद्य दानों और क्षतिग्रस्त दानों का योग, भार के अनुसार 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

क.18.06.13--दली हुई दाल मसूर :

दाल मसूर में लैंटिल (लेंस एस्कुलेंटा मएन व लेंस कुलीनरीस मेडिक या इरवम लेंस लिन) छिलका मुक्त, साबुत और दले हुए बीज होंगे। वह ठोस, साफ, सुखी, मीठी, स्वास्थ्यप्रद होगी और अस्वास्थ्यप्रद पदार्थों के मिश्रण से मुक्त होगी। वह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगी अर्थात् :--

(i) आर्द्रता--भार के अनुसार 14 प्रतिशत से अधिक नहीं (जो प्रकीर्णित दालों को 130° सें.ग्रे.--133° सें.ग्रे. पर दो घंटे तक गर्म करने पर अभिप्राप्त होगी)।

(ii) विजातीय पदार्थ--भार के अनुसार 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिनमें से अकार्बनिक पदार्थ भार के अनुसार 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(iii) अन्य खाद्य दाने--भार के अनुसार 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(iv) क्षतिग्रस्त दाने--भार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(v) कीड़ा खाए दाने--गणना के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(vi) मूलाम्ल--प्रति किलोग्राम 100 मि.ग्रा. से अधिक नहीं होंगे।

(vii) माइकोटाक्सीन जिनमें अफलाटाक्सीन भी है--प्रति किलोग्राम 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होगी :

परन्तु विजातीय पदार्थ अन्य खाद्य दानों, और क्षतिग्रस्त दानों का योग, भार के अनुसार 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

क.18.06.14--

कोई अन्य खाद्यान्न जिन्हें ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे, अर्थात्:--

(i) आर्द्रता--भार के अनुसार 16 प्रतिशत से अधिक नहीं (जो प्रकीर्णित दानों को 130° सें.ग्रे.--133° सें.ग्रे. पर दो घंटे तक गर्म करने पर अभिप्राप्त होगी।

(ii) विजातीय पदार्थ--भार के अनुसार 6.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिसमें से कार्बनिक पदार्थ और विषैले बीज क्रमश भार के अनुसार 1.0 और 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। (विषैले बीजों की कुल सीमा में से धतूरा और अकरा) विसिया स्पीसीज) भार के अनुसार क्रमशः 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ii) अन्य खाद्य दाने--भार के अनुसार 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(iv) कीड़ा खाए दाने-गणना के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(v) क्षतिग्रस्त दाने—भार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(vi) मूलामल-प्रति किलोग्राम 100 मि.ग्रा. से अधिक नहीं होगा।

(vii) माईकोटाक्सीन जिसमें अफलाटाक्सीन भी है--प्रति किलोग्राम 30 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होगी।

परन्तु विजातीय पदार्थ, अन्य खाद्य दानों और क्षतिग्रस्त दानों के भार के अनुसार 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण : मद 18.06 से 18.06.414 के प्रयोजनों के लिए :--

(क) "विजातीय पदार्थ" से अभिप्रेत है खाद्यान्न से भिन्न ऐसा कोई बाहरी पदार्थ जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट है :--

(i) अकार्बनिक पदार्थ जिसमें धातु के टुकड़े, बालू, बजरी, गंदगी, कंकड़, पत्थर, मिट्टी के पिंडक, मिट्टी और कीचड़ तथा पशु गंदगी अंतर्विष्ट है और चावल की दशा में गिरी या गिरी के टुकड़े, यदि कोई हो, जिनके ऊपरी भाग में मिट्टी लगी है, और

(ii) कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत, जिनके फूल, तणक बीज और अन्य अखाद्य दाने हैं और चावल की दशा में धान भी है।

(ख) विषैले, नशीले और हानिकर बीज से अभिप्रेत है ऐसे बीज, जो यदि परिमाण में अनुज्ञेय परिसीमा से अधिक विद्यमान हों तो वे स्वास्थ्य, इन्द्रियग्राही गुणों या तकनीकी निष्पादन पर क्षतिकर या खतरनाक प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे धतूरा (बी फास्टर लिन और डी स्ट्रोमेनियन लिन) काम्बपुष्प) एग्रेस्टमा गिरहेज, मथाई बेलजियम रिमुलनियम लिन) (अकरा) (विसियास्पेसीज) और एग्रोमोन मैक्सिकाना।

(ग) "क्षतिग्रस्त दानों" से अभिप्रेत है गिरियां या गिरियों के टुकड़े जो ताप, रोगाणु, आर्द्रता या मौसम के परिणामस्वरूप अंकुरित या आंतरिक रूप में क्षतिग्रस्त है अर्थात् अरगोट से प्रभावित दाने या करनाल बंट दाने हैं।

(घ) "कीड़ा खाए दाने" से अभिप्रेत है वे गिरियां जो भागतः या पूर्णतः अनाज के लिये हानिकर कीड़ों द्वारा छिद्रित है किन्तु उसके अन्तर्गत कीटाणुओं द्वारा खाए गए दाने और दानों पर अंडों के धब्बे लगे दाने नहीं हैं।

(ङ) "अन्य खाद्य दाने" से अभिप्रेत है खाद्य दाने (जिसके अन्तर्गत कोई तिलहन है) जो उससे भिन्न है जिस पर विचार किया जा रहा है।

[सं. पं. 15014/3/88-पी एच (एफ एंड एन) पी एफ ए]

बलबीर सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण :--खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 प्रथम बार भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, में का. नि. आ. 2106, तारीख 12-9-55 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :--

1. का.नि.आ. 1202 दिनांक 26-5-56
2. का.नि.आ. 1687 दिनांक 28-7-56
3. का.नि.आ. 2213 दिनांक 28-9-56 (असाधारण)
4. का.नि.आ. 2755 दिनांक 24-11-56

उसमें किए गए और संशोधन भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में इस प्रकार प्रकाशित किए गए थे :--

5. सा.का.नि. 514 दिनांक 28-6-58
6. सा.का.नि. 1211 दिनांक 20-12-58
7. सा.का.नि. 425 दिनांक 4-4-60
8. सा.का.नि. 169 दिनांक 11-2-61
9. सा.का.नि. 1134 दिनांक 16-9-61
10. सा.का.नि. 1340 दिनांक 4-11-61
11. सा.का.नि. 1564 दिनांक 24-11-62
12. सा.का.नि. 1589 दिनांक 22-10-64
13. सा.का.नि. 1814 दिनांक 11-12-65
14. सा.का.नि. 74 दिनांक 8-1-66
15. सा.का.नि. 387 दिनांक 19-3-66

16. सा.का.नि. 1256 दिनांक 26-8-67
17. सा.का.नि. 1533 दिनांक 24-8-68
18. सा.का.नि. 2163 दिनांक 14-12-68 (शुद्धिपत्र)
19. सा.का.नि. 532 दिनांक 8-3-69
20. सा.का.नि. 1764 दिनांक 26-7-69 (शुद्धिपत्र)
21. सा.का.नि. 2068 दिनांक 30-8-69
22. सा.का.नि. 1808 दिनांक 24-10-70
23. सा.का.नि. 938 दिनांक 12-6-71
24. सा.का.नि. 992 दिनांक 3-7-71
25. सा.का.नि. 553 दिनांक 6-5-72
26. सा.का.नि. 436 (अ) दिनांक 10-10-72
27. सा.का.नि. 133 दिनांक 10-2-73
28. सा.का.नि. 205 दिनांक 23-2-74
29. सा.का.नि. 850 दिनांक 12-7-75
30. सा.का.नि. 508 (अ) दिनांक 27-9-75
31. सा.का.नि. 63(अ) दिनांक 5-2-76
32. सा.का.नि. 754 दिनांक 29-5-76
33. सा.का.नि. 856 दिनांक 12-6-76
34. सा.का.नि. 1417 दिनांक 2-10-76
35. सा.का.नि. 4(अ) दिनांक 4-1-77
36. सा.का.नि. 18(अ) दिनांक 15-1-77
37. सा.का.नि. 651 (अ) दिनांक 20-10-77
38. सा.का०नि. 732(अ) दिनांक 5-12-77
39. सा.का.नि. 775(अ) दिनांक 27-12-77
40. सा.का.नि. 36(अ) दिनांक 21-1-78
41. सा.का.नि. 70(अ) दिनांक 8-2-78
42. सा.का.नि. 238 (अ) दिनांक 20-4-78
43. सा.का.नि. 393 (अ) दिनांक 4-8-78
44. सा.का.नि. 590 (अ) दिनांक 23-12-78
45. सा.का.नि. 55(अ) दिनांक 31-1-79
46. सा.नि.आ. 142(अ) दिनांक 16-3-79 (शुद्धिपत्र)
47. सा.का.नि. 231(अ) दिनांक 6-4-79
48. सा.का.नि. 423 दिनांक 30-6-79 (शुद्धिपत्र)
49. सा.का.नि. 1043 दिनांक 11-8-69 (शुद्धिपत्र)
50. सा.का.नि. 1210 दिनांक 29-9 79 (शुद्धिपत्र)
51. सा.का.नि. 19(अ) दिनांक 28 1-80
52. सा.का.नि. 243 दिनांक 1-3-80
53. सा.का.नि. 244 दिनांक 1-3-80
54. सा.का.नि. 996 दिनांक 8-9-80 (शुद्धिपत्र)
55. सा.का.नि. 579 (अ) दिनांक 13-10-80
56. सा.का.नि. 652 (अ) दिनांक 14-11-80
57. सा.का.नि. 710 (अ) दिनांक 22-12-80
58. सा.का.नि. 23(अ) दिनांक 16-1-80
59. सा.का.नि. 205(अ) दिनांक 25-3-81 (शुद्धिपत्र)
60. सा.का.नि. 290 (अ) दिनांक 13-4-81
61. सा.का.नि. 444 दिनांक 2-5-81 (शुद्धिपत्र)
62. सा.का.नि. 503 (अ) दिनांक 1-9-81
63. सा.का.नि. 891 दिनांक 3-10-81 (शुद्धिपत्र)
64. सा.का.नि. 1056 दिनांक 5-12-81 (शुद्धिपत्र)
65. सा.का.नि. 80 दिनांक 23-1-86 (शुद्धिपत्र)
66. सा.का.नि. 44 (अ) दिनांक 5-2-82
67. सा.का.नि. 57(अ) दिनांक 11-2-82
68. सा.का.नि. 245 (अ) दिनांक 11-3-82
69. सा.का.नि. 307 (अ) दिनांक 3-4-82 (शुद्धिपत्र)
70. सा.का.नि. 386, दिनांक 17-4-82 (शुद्धिपत्र)
71. सा.का.नि. 422 (अ) दिनांक 24-5-82
72. सा.का.नि. 476 (अ) दिनांक 29-4-82
73. सा.का.नि. 504 (अ) दिनांक 20-7-82 (शुद्धिपत्र)
74. सा.का.नि. 753 (अ) दिनांक 11-12-82 (शुद्धिपत्र)
75. सा.का.नि. 109(अ) दिनांक 26-2-83
76. सा.का.नि. 249 (अ) दिनांक 8-3-83
77. सा.का.नि. 269 (अ) दिनांक 16-3-83
78. सा.का.नि. 283(अ) दिनांक 26-3-83
79. सा.का.नि. 329 (अ) दिनांक 14-4-83 (शुद्धिपत्र)
80. सा.का.नि. 539 (अ) दिनांक 1-7-83 (शुद्धिपत्र)
81. सा.का.नि. 634 दिनांक 9-8-83 (शुद्धिपत्र)
82. सा.का.नि. 743 (अ) दिनांक 8-10-83 (शुद्धिपत्र)
83. सा.का.नि. 790 (अ) दिनांक 10-10-83
84. सा.का.नि. 803 (अ) दिनांक 27-10-83
85. सा.का.नि. 816 (अ) दिनांक 3-11-83
86. सा.का.नि. 829 (अ) दिनांक 7-11-83
87. सा.का.नि. 848 (अ) दिनांक 19-11-83
88. सा.का.नि. 893 (अ) दिनांक 17-12-83 (शुद्धिपत्र)
89. सा.का.नि. 113 दिनांक 20-1-84 (शुद्धिपत्र)
90. सा.का.नि. 500 (अ) दिनांक 9-7-84
91. सा.का.नि. 612 (अ) दिनांक 18-8-84 (शुद्धिपत्र)
92. सा.का.नि. 744 (अ) दिनांक 27-10-84
93. सा.का.नि. 764 (अ) दिनांक 15-11-84
94. सा.का.नि. 3(अ) दिनांक 1-1-85
95. सा.का.नि. 11(अ) दिनांक 4-1-85
96. सा.का.नि. 142 (अ) दिनांक 8-3-85 (शुद्धिपत्र)
97. सा.का.नि. 293 (अ) दिनांक 23-3-85
98. सा.का.नि. 363 (अ) दिनांक 18-4-85 (शुद्धिपत्र)
99. सा.का.नि. 385 (अ) दिनांक 29-4-85 (शुद्धिपत्र)

100. सा.का.नि. 543 (अ) दिनांक 2 7-85
101. सा.का.नि. 550 (अ) दिनांक 4-7-85
102. सा.का.नि. 587 (अ) दिनांक 17-7-85 (शुद्धिपत्र)
103. सा.का.नि. 605 (अ) दिनांक 24-7-85
104. सा.का.नि. 745 (अ) दिनांक 20-9-85
105. सा.का.नि. 746 (अ) दिनांक 20-9-85
106. सा.का.नि. 748 (अ) दिनांक 23-9-85 (शुद्धिपत्र)
107. सा.का.नि. 892 (अ) दिनांक 6-12-85
108. सा.का.नि. 903 (अ) दिनांक 17-12-85 (शुद्धिपत्र)
109. सा.का.नि. 73 (अ) दिनांक 29-1-86
110. सा.का.नि. 507 (अ) दिनांक 19-3-86
111. सा.का.नि. 724 (अ) दिनांक 29-4-86 (शुद्धिपत्र)
112. सा.का.नि. 851 (अ) दिनांक 13-6-86
113. सा.का.नि. 852 (अ) दिनांक 13-6-86
114. सा.का.नि. 910 (अ) दिनांक 27-6-86
115. सा.का.नि. 939 (अ) दिनांक 9-7-86 (शुद्धिपत्र)
116. सा.का.नि. 1008 (अ) दिनांक 18-8-86 (शुद्धिपत्र)
117. सा.का.नि. 1149 (अ) दिनांक 15-10-86 (शुद्धिपत्र)
118. सा.का.नि. 1207 (अ) दिनांक 18-11-86 (शुद्धिपत्र)
119. सा.का.नि. 1228 (अ) दिनांक 27-11-86
120. सा.का.नि. 12(अ) दिनांक 5-1-87
121. सा.का.नि. 28(अ) दिनांक 13-1-87 (शुद्धिपत्र)
122. सा.का.नि. 270 (अ) दिनांक 2-3-87
123. सा.का.नि. 344 (अ) दिनांक 31-3-87 (शुद्धिपत्र)
124. सा.का.नि. 422(अ) दिनांक 29-4-87 (शुद्धिपत्र)
125. सा.का.नि. 449(अ) दिनांक 29-4-87 (शुद्धिपत्र)
126. सा.का.नि. 500 (अ) दिनांक 15-5-87 (शुद्धिपत्र)
127. सा.का.नि. 569 (अ) दिनांक 12-6-87 (शुद्धिपत्र)
128. सा.का.नि. 840 (अ) दिनांक 6-10-87
129. सा.का.नि. 900 (अ) दिनांक 10-11-87
130. सा.का.नि. 916 (अ) दिनांक 17-11-87
131. सा.का.नि. 917 (अ) दिनांक 17-11-87
132. सा.का.नि. 918 (अ) दिनांक 17-11-87 (शुद्धिपत्र)
133. सा.का.नि. 72(अ) दिनांक 3-2-88 (शुद्धिपत्र)
134. सा.का.नि. 73(अ) दिनांक 3-2-88 (शुद्धिपत्र)
135. सा.का.नि. 366 (अ) दिनांक 23-2-88 (शुद्धिपत्र)
136. सा.का.नि. 367 (अ) दिनांक 23-3-88
137. सा.का.नि. 437 (अ) दिनांक 8-4-88
138. सा.का.नि. 436 (अ) दिनांक 8-4-88
139. सा.का.नि. 454 (अ) दिनांक 8-4-88
140. सा.का.नि. 618 (अ) दिनांक 16-5-88
141. सा.का.नि. 855 (अ) दिनांक 12-8-88
142. सा.का.नि. 856 (अ) दिनांक 12-8-88
143. सा.का.नि. 924 (अ) दिनांक 13-9-88 (शुद्धिपत्र)
144. सा.का.नि. 1081 (अ) दिनांक 17-11-88
145. सा.का.नि. 1157 (अ) दिनांक 9-12-88
146. सा.का.नि. 42 (अ) दिनांक 20-1-89 (शुद्धिपत्र)

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 1990

G.S.R. 50(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act, after consultation with the Central Committee for Food Standards, is hereby published as required by the said sub-section for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) Nirman Bhavan, New Delhi.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in Appendix B, for item A.18.06, the following shall be substituted, namely :—

"A.18.06—Foodgrains meant for human consumption shall be whole or broken kernels of cereals, millets and pulses. In addition to the undermentioned standards to which foodgrains shall conform, they shall be free from argemone, maxicana and kesari in any form. They shall be free from added colouring matter. The foodgrains shall not contain any insecticide residues other than those specified in column (2) of the table of rule 65 and the amount insecticide residue in the foodgrains shall not exceed the limits specified in column (4) of the said Table.

A.18.06.01—Wheat :

Description : Wheat shall be the dried mature grains of Triticum aestivum Linn. or Triticum vulgare vill, Triticum durm Desf., Triticum sphaerococcum perc., Triticum desoccum schubl., Triticum Compactum Host. It shall be sweet, clean and wholesome. It shall also conform to the following standards namely :—

(i) Moisture—Not more than 14 per cent by weight (obtained by heating the pulverised grains at 130°C—133°C for two hours).

(ii) Foreign matter—Not more than 3 per cent by weight out of which inorganic matter and poisonous seeds, shall not exceed 1.0 and 0.5 per cent by weight, respectively. Out of total limit of poisonous seeds, dhatura and akra (Vicia species) shall not exceed 0.025 and 0.2 per cent by weight respectively.

(iii) Other edible grains—Not more than 6 per cent by weight.

(iv) Damaged grains—Not more than 6.0 per cent by weight including karnal bunt affected grains and ergot affected grains. The limit of karnal bunt affected grains, ergot affected grains shall not exceed 3.0 per cent and 0.05 per cent by weight, respectively.

(v) Weevilled grains—Not more than 10 per cent by count.

(vi) Uric acid—Not more than 100 eq. mg. per kg.

(vii) Mycotoxin including aflatoxin—Not more than 30 micrograms per kilogram :

Provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed 12 per cent by weight.

A.18.06.02—Maize :

Maize shall be the dried mature grains of Zea mays Linn. It shall be sweet, hard, clean and wholesome. It shall also conform to the following standards, namely :—

(i) Moisture—Not more than 16.0 per cent by weight (obtained by heating the pulverised grains at 130°C—133°C for two hours).

(ii) Foreign matter—Not more than 4 per cent by weight out of which inorganic matter and poisonous seeds shall not exceed 1.0 and 0.5 per cent by weight respectively. Out of total limit of poisonous seeds, dhatura and akra (vicia species) shall not exceed 0.025 and 0.2 per cent by weight, respectively.

(iii) Other edible grains—Not more than 3 per cent by weight.

(iv) Damaged grains—Not more than 5 per cent by weight.

(v) Weevilled grains—Not more than 10 per cent by count.

(vi) Uric acid—Not more than 100 mg. per kg.

(vii) Mycotoxin including aflatoxin—Not more than 30 micrograms per kilogram :

Provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed 9 per cent by weight.

A.18.06.03—Jawar and Bajra :

Jawar and Bajra shall be the dried mature grains of Sorghum Vulgare Pers. and Pennisetum—typhyoideum Rich, respectively. These shall be sweet, hard, clean and wholesome. These shall also conform to the following standards, namely :—

(i) Moisture—Not more than 16.0 per cent by weight (obtained by heating the pulverised grains at 139°C—133°C for two hours).

(ii) Foreign matter—Not more than 4 per cent by weight out of which inorganic matter and poisonous seeds shall not exceed 1.0 and 0.5 per cent by weight, respectively. Out of total limit of poisonous seed, dhatura and akra (Vicia species) shall not exceed 0.025 and 0.2 per cent by weight, respectively.

(iii) Other edible grains—Not more than 3 per cent by weight.

(iv) Damaged grains—Not more than 6 per cent by weight out of which ergot affected grains shall not exceed 0.05 per cent by weight.

(v) Weevilled grains—Not more than 6 per cent by count.

(vi) Uric acid—Not more than 100 mg. per kg.

(vii) Mycotoxin including aflatoxin—Not more than 30 micrograms per kilogram :

Provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed 10 per cent by weight.

A.18.06.04—Rice :

Rice shall be the mature kernels or pieces of kernels of Oryza sativa Linn. obtained from paddy as raw or par boiled. It shall be dry, sweet, clean, wholesome and free from unwholesome poisonous substance. It shall also conform to the following standards, namely :—

(i) Moisture—Not more than 16 per cent by weight (obtained by heating the pulverised grains at 130°C—133°C for two hours).

(ii) Foreign matter—Not more than 3 per cent by weight out of which inorganic matter shall not exceed 1 per cent by weight.

(iii) Damaged grains—Not more than 5 per cent by weight (excluding discoloured tip).

(iv) Weevilled grains—Not more than 10 per cent by count.

(v) Uric acid—Not more than 100 mg. per kg.

(vi) Mycotoxin including aflatoxin—Not more than 30 microgram per kilogram.

Provided that the total of foreign matter and damaged grains shall not exceed 6 per cent by weight.

A.18.06.05—Masur whole :

Masur whole shall consist of lentil (Lens culinaris Medik or Erven lens Linn. or Lens esculenta Moench). It shall be sound, dry, sweet, clean and wholesome. It shall conform to the following standards, namely :—

(i) Moisture—Not more than 14 per cent by weight (obtained by heating the pulverised grains at 130°C—133°C for two hours).

(ii) Foreign matter—Not more than 3 per cent by weight out of which inorganic matter shall not exceed 1 per cent by weight.

(iii) Other edible grains—Not more than 3 per cent by weight.

(iv) Damaged grains—Not more than 5 per cent by weight.

(v) Weevilled grains—Not more than 6 per cent by count.

(vi) Uric aeid—Not more than 100 mg. per kg.

(vii) Mycotoxin including aflatoxin—Not more than 30 micrograms per kilogram :

Provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed 8 per cent by weight.

A.18.06.06—Urd whole :

Urd whole shall consist of seeds of the pulses (Phaseolus mungo Linn). It shall be sound, dry, sweet and wholesome. It shall also conform to the following standards, namely :—

(i) Moisture—Not more than 14 per cent by weight (obtained by heating the pulverised grains at 130°C—133°C for two hours).

(ii) Foreign matter—Not more than 3 per cent by weight out of which inorganic matter shall not exceed 1 per cent by weight.

(iii) Other edible grains—Not more than 4 per cent by weight.

(iv) Weevilled grains—Not more than 6 per cent by count.

(v) Damaged grains—Not more than 5 per cent by weight.

(vi) Uric acid—Not more than 100 mg. per kilogram.

(vii) Mycotoxin including aflatoxin—Not more than 30 micrograms per kilogram :

Provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed 9 per cent by weight.

A.18.06.07—Moong whole :

Moong whole shall consist of seeds of green gram (Phaseolous aurues Roxb., Phaseolus radiatus Roxb.) It shall be sound, dry, sweet, wholesome and free from admixture of unwholesome substances. It shall also conform to the following standards, namely :—

(i) Moisture—Not more than 14 per cent by weight (obtained by heating the pulverised pulses at 130°C—133°C for two hours).

(ii) Foreign matter—Not more than 3 per cent by weight out of which inorganic matter shall not exceed 1 per cent by weight.

(iii) Other edible grains—Not more than 4 per cent by weight.

(iv) Damaged grains—Not more than 5 per cent by weight.

(v) Weevilled grains—Not more than 6 per cent by count.

(vi) Uric acid—Not more than 100 mg. per kg.

(vii) Mycotoxin including aflatoxin—Not more than 30 micrograms per kilogram :

Provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed 9 per cent by weight.

A.18.06.08—Chana whole :

Chana whole shall be the dried grains of gram (Cicer arietinum Linn.). It shall be sound, clean, sweet, wholesome and free from unwholesome substances. It shall also conform to the following standards, namely :—

(i) Moisture—Not more than 16 per cent by weight (obtained by heating the pulverised pulses at 130°C—133°C for two hours).

(ii) Foreign matter—Not more than 3 per cent by weight out of which the inorganic matter shall not exceed 1 per cent by weight.

(iii) Other edible grains—Not more than 4 per cent by weight.

(iv) Damaged grains—Not more than 5 per cent by weight.

(v) Weevilled grains—Not more than 10 per cent by count.

(vi) Uric acid—Not more than 100 mg. per kg.

(vii) Mycotoxin including aflatoxin—Not more than 30 micrograms per kilogram :

Provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed 9 per cent by weight.

A.18.06.09—Split Pulse (Dal) Arhar :

Dal Arhar shall consist of husk and split seeds of red gram (Cajanus cajan (L) Millsp). It shall be sound, clean, sweet, dry, wholesome and free from admixture of unwholesome substance. It shall also conform to the following standards, namely :—

(i) Moisture—Not more than 14 per cent by weight (obtained by heating the pulverised pulses at 130°C—133°C for two hours).

(ii) Foreign matter—Not more than 2 per cent by weight out of which inorganic matter shall not exceed 1 per cent by weight.

(iii) Other edible grains—Not more than 0.5 per cent by weight.

(iv) Damaged grains—Not more than 5 per cent by weight.

(v) Weevilled grains—Not more than 3 per cent by count.

(vi) Uric acid content—Not more than 100 mg. per kilogram.

(vii) Mycotoxin including aflatoxin—Not more than 30 micrograms per kilogram :

Provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed 6 per cent by weight.

A.18.06.10—Split Pulse (Dal) Moong :

Dal Moong shall consist of split seeds of green grams (Phaseolus aureus Roxb, Phaseolus radiatus Roxb). It shall be sound, clean, sweet, wholesome and free from unwholesome substances. It shall also conform to the following standards, namely :—

(i) Moisture—Not more than 14 per cent by weight (obtained by heating the pulverised pulses at 130°C—133°C for two hours).

(ii) Foreign matter—Not more than 2 per cent by weight out of which inorganic matter shall not exceed 1 per cent by weight.

(iii) Other edible grains—Not more than 4 per cent by weight.

(iv) Damaged grains—Not more than 5 per cent by weight.

(v) Weevilled grains—Not more than 3 per cent by eount.

(vi) Uric acid—Not more than 100 mg per kilogram.

(vii) Mycotoxin including aflatoxin—Not more than 30 micrograms per kilogram :

Provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed 8 per cent by weight.

A. 18.06.11—Split pulse (Dal) Urd :

Dal Urd shall consist of split seeds of pulse (Phaseolus mungo Linn). It shall be sound, dry, sweet, wholesome and free from admixture of unwholesome substances. It shall also conform to the following standards, namely :—

(i) Moisture—Not more than 14 per cent by weight (obtained by heating the pulverised pulses at 130°C—133°C for two hours).

(ii) Foreign matter—Not more than 2 per cent by weight, out of which inorganic matter shall not exceed 1 per cent by weight.

(iii) Other edible grains—Not more than 4 per cent by weight.

(iv) Damaged grains—Not more than 5 per cent by weight.

(v) Weevilled grains—Not more than 3 per cent by count.

(vi) Uric Acid—Not more than 100 mg. per kg.

(vii) Mycotoxin including aflatoxin—Not more than 30 micrograms per kilogram :

Provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed 8 per cent by weight.

A. 18.06.12—Dal Chana :

Dal Chana shall consist of split grains of gram (Cicer arietinum Linn). It shall be sound, clean, sweet, dry, wholesome and free from admixture of unwholesome substances. It shall also conform to the following standards, namely :—

(i) Moisture—Not more than 16 per cent by weight (obtained by heating the pulverised pulses at 130°C—133°C for two hours).

(ii) Foreign matter—Not more than 2 per cent by weight out of which inorganic matter shall not exceed 1 per cent by weight.

(iii) Other edible grains—Not more than 2 per cent by weight.

(iv) Damaged grains—Not more than 5 per cent by weight.

(v) Weevilled grains—Not more than 3 per cent by count.

(vi) Uric acid—Not more than 100 mg. per kilogram.

(vii) Mycotoxin including aflatoxin—Not more than than 30 micrograms per kilogram :

Provided that total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed 7 per cent by weight.

A.18.06.13—Split pluse masur :—

Dal masur shall consist of dehusked whole and split seed of the lentil (Lens esculenta Moench or Lens culinaris Medik or Ervem lens Linn). It shall be sound, clean, dry, sweet, wholesome and free from admixture of unwholesome substances. It shall also conform to the following sandards, namely :—

(i) Moisture—Not more than 14 per cent by weight (obtained by heating the pulverised pulse at 130—133°C for two hours).

(ii) Foreign matter—Not more than 2 per cent by weight out of which inorganic matter shall not exceed 1 per cent by weight.

(iii) Other edible grains—Not more than 2 per cent by weight.

(iv) Damaged grains—Not more than 5 per cent by weight.

(v) Weevilled grains—Not more than 3 per cent by count.

(vi) Uric acid—Not more than 100 mg per kilogram.

(vii) Mycotoxin including aflatoxin—Not more than 30 micrograms per kilogram.

Provided that total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed 7 per cent by weight.

A.18.06.14—Any other foodgrains not specified above shall conform to the following standards, namely :—

(i) Moisture—Not more than 16 per cent by weight (obtained by heating the pulverised grains at 130—133°C for two hours)

(ii) Foreign matter—Not more than 6.0 per cent by weight out of which inorganic matter and poisonous seeds shall not exceed 1.0 and 0.5 per cent by weight, respectively. Out of the total limit of poisonous seeds, dhatura and akra (Vicia species) shall not exceed 0.025 and 0.2 per cent by weight respectively.

(iii) Other edible grains—Not more than 6 per cent by weight.

(iv) Weevilled grains—Not more than 10 per cent by count.

(v) Damaged grains—Not more than 5 per cent by weight.

(vi) Uric acid—Not moret han 100 mg per kg.

(vii) Mycotoxin including aflatoxin—Not more than 30 micrograms per kilogram.

Provided that total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed per cent by weight.

Explanation—For the purposes of items 18.06 to 18.06.14 :—

(a) "foreign matter" means any extraneous matter other than foodgrains comprising of—

(i) inorganic matter consisting of metallic pieces, sand, gravel, dirt, pebbles, stones, lumps of earth, clay and mud, animal filth and in th case of rice, kernels or pieces of kernels, if any, having mud-sticking on the surface of the rice, and

(ii) organic matter consisting of husk, straws, weed seeds and other inedible grains and also paddy in the case of rice;

(b) poisonous, toxic and/or harmful seeds—means any seeds which if present in quantities above permissible limit may have damaging or dangerous effect on health, organoleptic properties or technological performance such as dhatura (D. fastur linn and D. stramonium linn), corn cokle (Agrestamma girhaga, Machai Lallium remulenum linn), Akra (Vicia species).

(c) "Damaged grains" means kernels or pieces of kernels that are sprouted or internally damaged as a result of heat, microbe, moisture or weather, viz., ergot affected grain and kernel bunt grains;

(d) "weevilled grains" means kernels that are partially or wholly bored by insects injurious to grains but does not include germ eaten grains and egg spoted grains;

(e) "Other edible grains" means any edible grains (including oil seeds) other than the one which is under consideration.

[No. P. 15014/38/88-PH(F&N)PFA]

BALBIR SINGH, Jt. Secy.

Note : The prevetion of Food Adulteration rules 1955 were first published in Part II Section 3 of the Gazette of India vide S.R.O. 2106 dated 12-9-1955 and subsequently amneded as follows by :—

1. SRO 1202 dt. 26-5-56
2. SRO 1687 dt. 28-7-56
3. SRO 2213 dt. 28-9-56 (Extraordinary)
4. SRO 2755 dt. 24-11-56

The further amendmens were published in Part II, Section 3 sub-section (i) of Gazette of India as follows by :—

5. GSR 514 dt. 28-6-58
6. GSR 1211 dt. 20-12-58
7. GSR 425 dt. 4-4-60
8. GSR 169 dt. 11-2-61
9. GSR 1134 dt. 16-9-61

10. GSR 1340 dt. 4-11-61
11. GSR 1564 dt. 24-11-62
12. GSR 1589 dt. 22-10-64
13. GSR 1814 dt. 11-12-65
14. GSR 74 dt. 8-1-66
15. GSR 382 dt. 19-3-66
16. GSR 1256 dt. 26-8-67
17. GSR 1533 dt. 24-8-68
18. GSR 2163 dt. 14-12-68 (Corrigendum)
19. GSR 532 dt. 8-3-69
20. GSR 1764 dt. 26-7-69 (Corrigendum)
21. GSR 2068 dt. 30-8-69
22. GSR 1808 dt. 24-10-70
23. GSR 938 dt. 12-6-71
24. GSR 992 dt. 3-7-71
25. GSR 553 dt. 6-5-72
26. GSR 436(E) dt. 10-10-72
27. GSR 133 dt. 10-2-73
28. GSR 205 dt. 23-2-74
29. GSR 850 dt. 12-7-75
30 GSR 508(E) dt. 27-9-75
31. GSR 63(E) dt. 5-2-76
32. GSR 754 dt. 29-5-76
33. GSR 755 dt. 29-5-76
34. GSR 856 dt. 12-6-76
35. GSR 1417 dt. 2-10-76
36. GSR 4(E) dt. 4-1-77
37. GSR 18(E) dt. 15-1-77
38. GSR 651(E) dt. 20-10-77
39. GSR 732(E) dt. 5-12-77
40. GSR 775(E) dt. 27-12-77
41. GSR 36(E) dt. 21-1-78
42. GSR 70(E) dt. 8-2-78
43. GSR 238(E) dt. 20-4-78
44. GSR 393(E) dt. 4-8-78
45. GSR 590(E) dt. 23-2-78
46. GSR 55(E) dt. 31-1-79
47. SO 142(E) dt. 16-3-79 (Corrigendum)
48. GSR 2331(E), dt. 6-4-79
49. GSR 1043 dt. 11-8-79 (Corrigendum)
50. GSR 1210 dt. 29-9-79 (Corrigendum)
51. GSR 19(E) dt. 28-1-80
52. GSR 243 dt. 1-3-80
53. GSR 244 dt. 1-3-80
54. GSR 996 dt. 27-9-80 (Corrigendum)
55. GSR 579(E) dt. 13-10-80
56. GSR 652(E) odt. 14-11-80
57. GSR 710(E) dt. 22-12-80
58. GSR 23(E) dt. 16-1-81
59. GSR 205(E) dt. 25-3-81 (Corrigendum)
60. GSR 290(E) dt. 13-4-81
61. GSR 444 dt. 2-5-81 (Corrigendum)
62. GSR 503(E) dt. 1-9-81
63. GSR 891 dt. 3-10-81 (Corrigendum)
64. GSR 1056 dt. 5-12-81 (Corrigendum)
65. GSR 80 dt. 23-1-82 (Corrigendum)
66. GSR 44(E) dt. 5-2-82
67. GSR 57(E) dt. 11-2-82
68. GSR 245(E) dt. 11-3-82
69. GSR 307(E) dt. 3-4-82 (Corrigendum)
70. GSR 386 dt. 17-4-82 (Corrigendum)
71. GSR 422(E) dt. 24-5-82
72. GSR 476(E) dt. 29-6-82
73. GSR 504(E) dt. 20-7-82 (Corrigendum)
74. GSR 753(E) dt. 11-12-82 (Corrigendum)
75. GSR 109(E) dt. 26-2-83
76. GSR 249(E) dt. 8-3-83
77. GSR 268(E) dt. 16-3-83
78. GSR 283(E) dt. 26-3-83
79. GSR 329(E) dt. 14-4-83 (Corrigendum)
80. GSR 539(E) dt. 1-7-83 (Corrigendum)
81. GSR 634 dt. 9-8-83 (Corrigendum)
82. GSR 743 dt. 8-10-83 (Corrigendum)
83. GSR 790(E) dt. 10-10-83
84. GSR 803(E) dt. 27-10-83
85. GSR 816(E) dt. 3-11-83
86. GSR 829(E) dt. 7-11-83
87. GSR 848(E) dt. 19-11-83
88. GSR 893(E) dt. 17-12-83 (Corrigendum)
89. GSR 113 dt. 20-1-84 (Corrigendum)
90. GSR 500(E) dt. 9-7-84
91. GSR 612(E) dt. 18-8-84 (Corrigendum)
92. GSR 744(E) dt. 27-10-84

93. GSR 764(E) dt. 15-11-84
94. GSR 3(E) dt. 1-1-85
95. GSR 11(E) dt. 4-1-85
96. GSR 142(E) dt. 8-3-85 (Corrigendum)
97. GSR 293(E) dt. 23-3-85
98. GSR 368(E) dt. 18-4-85 (Corrigendum)
99. GSR 385(E) dt. 29-4-85 (Corrigendum)
100. GSR 543E) dt. 2-7-85
101. GSR 550(E) dt. 4-7-85
102. GSR 587(E) dt. 17-7-85 (Corrigendum)
103. GSR 605(E) dt. 24-7-85
104. GSR 745(E) dt. 20-9-85
105. GSR 746(E) dt. 20-9-85
106. GSR 748(E) dt. 23-9-85 (Corrigendum)
107. GSR 892(E) dt. 6-12-85
108. GSR 903(E) dt. 17-12-85 (Corrigendum)
109. GSR 73(E) dt. 29-1-86
110. GSR 507(E) dt. 19-3-86
111. GSR 724(E) dt. 29-4-86 (Corrigendum)
112. GSR 851(E) dt. 13-6-86
113. GSR 852(E) dt. 13-6-86
114. GSR 910(E) dt. 27-6-86
115. GSR 939(E) dt. 9-7-86 (Corrignndum)
116. GSR 1008(E) dt. 18-8-86 (Corrigendum)
117. GSR 1149(E) dt. 15-10-86 (Corrigendum)
118. GSR 1207(E) dt. 18-11-86 (Corrigendum)
119. GSR 1228(E) dt. 27-11-86
120. GSR 12(E) dt. 5-1-87
121. GSR 28(E) dt. 13-1-87 (Corrigendum)
122. GSR 270(E) dt. 2-3-87
123. GSR 344(E) dt. 31-3-87 (Corrigendum)
124. GSR 422(E) dt. 29-4-87 (Corrigendum)
125. GSR 449(E) dt. 29-4-87 (Corrigendum)
126. GSR 500(E) dt. 15-5-87 (Corrigendum)
127. GSR 569(E) dt. 12-6-87 (Corrigendum)
128. GSR 840(E) dt. 6-10-87
129. GSR 900(E) dt. 10-11-87
130. GSR 916(E) dt. 17-11-87
131. GSR 917(E) dt. 17-11-87
132. GSR 918(E) dt. 17-11-87 (Corrigendum)
133. GSR 72(E) dt. 3-2-88 (Corrigendum)
134. GSR 73(E) dt. 3-2-88 (Corrigendum)
135. GSR 366(E) dt. 23-3-88 (Corrigendum)
136. GSR 367(E) dt. 23-3-88
137. GSR 437(E) dt. 8-4-88
138. GSR 436(E) dt. 8-4-88
139. GSR 454(E) dt. 8-4-88
140. GSR 618(E) dt. 16-5-88
141. GSR 855(E) dt. 12-8-88
142. GSR 856(E) dt. 12-8-88
143. GSR 924(E) dt. 13-9-88 (Corrigendum)
144. GSR 1081(E) dt. 17-11-88
145. GSR 1157(E) dt. 9-12-88
146. GSR 42(E) dt. 20-1-89 (Corrigendum)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990